

प्रेषक,  
विनय प्रकाश सिंह,  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मेरठ।

सेवा में,  
माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,  
मेरठ।

विषय:- 1108 / LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated20-05-2020 एवं आपके आदेश दिनांकित 21.05.2020 के अनुपालन में आख्या प्रेषित किये जाने के संबंध में

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के पत्रांक 1108 / LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated20-05-2020 एवं आपके आदेश संख्या 113 दिनांकित 21.05.2020 के संबंध में मेरठ न्यायालय परिसर के रैड जोन/कन्टेनमेंट जोन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ, से आख्या आहूत की गयी है, जो संलग्न कर माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

आदर सहित।

दिनांक : 04.06.2020

भवदीय

(विनय प्रकाश सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मेरठ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।  
प्रतिलिपि-श्रीमान नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, जिला न्यायालय, मेरठ, को अनुपालन हेतु सादर प्रेषित।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मेरठ।

प्रश्न

जिला मजिस्ट्रेट  
मेरठ।

प्रेष

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मेरठ।

संख्या- 1159 / एसटी-नगर/कोविड-19,

दिनांक- 04 जून, 2020

विषय- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.5.2020 के अनुपालन में मेरठ न्यायालय के परिसर रेड जोन/कन्टेनमेंट जोन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांकित 22.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3-2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 30.05.2020 के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेश संख्या-1382/2020/सीएस-3, दिनांक 31.05.2020 द्वारा कोविड-19 महामारी को रोकथाम के सम्बन्ध में पूर्व से प्रचालित लोक डाउन दिनांक 01-06-2020 से दिनांक 30-06-2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं।

उक्त में जिला मजिस्ट्रेट मेरठ महोदय द्वारा पूर्व पारित आदेश संख्या-1465/ओएसडी-कैम्प/2020, दिनांक 21.05.2020 इस दिनांक 18.05.2020 से दो सप्ताह के लिए बढ़ाई गयी लोक डाउन की अवधि में सम्पूर्ण नगर निगम (नगर निगम बार्ड संख्या-06, 10, 28 एव 31 को छोड़कर) एव कैंट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए 'Containment Zone' घोषित करते हुए उक्त अवधि में नगर निगम एव कैंट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत Complete Lock Down पूर्व की भांति लागू रहने के आदेश जारी किए गए थे।

उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट मेरठ महोदय द्वारा अपने आदेश संख्या-1532/ओएसडी-कैम्प/2020 दिनांक 31.05.2020 के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है कि जनपद मेरठ में प्रतिदिन कोविड-19 की जांच में जनसामान्य मामलें प्रकाश में आ रहे हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3-2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 30.05.2020 के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेश संख्या-1382/2020/सीएस-3, दिनांक 31.05.2020 पर विचार विमर्श कर अंतिम आदेश पारित किए जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट मेरठ महोदय को उक्त आ. डा में सम्पूर्ण नगर निगम एव कैंट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए 'Containment Zone' के रूप में रहने की अवधि का अंतिम आदेश तक बढ़ाया गया है। उक्त अवधि में नगर निगम एव कैंट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत Complete Lock Down की स्थिति अंतिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी। पूर्व आदेश एव उक्त आदेश की प्रकाशित अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

कृपया तदनुसार आख्या सूत्रगार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।  
सलमक-उपरोक्तानुसार।

भावीय

अजय कुमार तिवारी)

जिला मजिस्ट्रेट (नगर)  
मेरठ।

प्रतिलिपि-

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अखर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)  
मेरठ।

समर्थन जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

संख्या 153<sup>2</sup> / 2020-अपराध-कॉम / 2020

दिनांक 31-05-2020

आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार को आदेश संख्या 40-3-2020-डीएन-1 (ए) दिनांक 30-5-2020 के तहत में निर्मित मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को आदेश संख्या 1382 / 2020 / सीएल-3 दिनांक 31-5-2020 द्वारा पूर्व से प्रभावी लॉक डाउन दिनांक 01-06-2020 से 30-06-2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिये गये हैं।

इस अवसर पर पूर्व निर्मित आदेश संख्या 1465 / 2020-अपराध-कॉम / 2020 दिनांक 21-05-2020 द्वारा दिनांक 18-05-2020 से दो सप्ताह के लिए बढ़ाई गयी लॉक डाउन की अवधि में सम्पूर्ण नगर निगम (सचिव कार्यालय संख्या 06.10.28.31 को छोड़कर) एवं कौन्ट डोव्न क्षेत्र की सीमा को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए Containment Zone घोषित करते हुए उक्त अवधि में नगर निगम एवं कौन्ट डोव्न क्षेत्र के अन्तर्गत Complete Lock Down पूर्व की गति लागू रहने से अलग जारी किए गए थे।

अनुभव मेरठ में प्रतिदिन कोविड-19 की जांच में प्रयासक मामले प्रकाश में आ रहे हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3-2020-डीएन-1 (ए) दिनांक 30-05-2020 के तहत में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को आदेश संख्या 1382 / 2020 / सीएल-3 दिनांक 31-5-2020 पर विचार विमर्श कर अंतिम आदेश जारी किया जायेगा। अतः सम्पूर्ण नगर निगम एवं कौन्ट डोव्न क्षेत्र की सीमा को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए Containment Zone के रूप में रहने की अवधि को अंतिम आदेशों तक रखा जा रहा है। उक्त अवधि में नगर निगम एवं कौन्ट डोव्न क्षेत्र के अन्तर्गत Complete Lock Down की स्थिति अंतिम आदेशों तक बनायी जायेगी।

(अमित शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- 1- मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- 3- अपर मुख्य सचिव, गृह, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- 5- आयुक्त, मेरठ, मण्डल, मेरठ।
- 6- सचिव पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आदेश से प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
- 7- समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद, मेरठ।
- 8- पुलिस अधीक्षक-नगर / ग्रामीण क्षेत्र, मेरठ।
- 9- नगर मजिस्ट्रेट / समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट / समस्त उ० जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
- 10- स० प्र० निरीक्षण अधिकारी, मेरठ।
- 11- नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
- 12- प्रभारी प्रान्तीय स्तर, कलकत्ता, एन०आइ०सी०, मेरठ।
- 13- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।

(अमित शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

## आदेश

1-5-2020 के आदेश संख्या 80-3-2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 17-5-2020 के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश भारत, लखनऊ के आदेश संख्या 824/2-20/सीएस-3 दिनांक 18-5-2020 द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम को मान्य में देशव्यापी संकटग्रस्त दिनांक 18-5-2020 से दिनांक 31-5-2020 तक प्रभावी करने हेतु आदेश दिए गए हैं। इन संवन्ध में जिलाधिकारी, सीरिस्ट पुलिस अधीक्षक को नगर पंचायत आधिकारिक समन्वय के प्रतिनिधियों, व्यापार मण्डल के अधिकारियों आदि से विचार विमर्श कर लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक 31-5-2020 तक निम्नलिखित विद्या निर्देश पारित किए जाते हैं:-

- 1- जनपद मेरठ के कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेन्ट/मिठाई की दुकान से होकर डिलीवरी अनुमत्त होगी।
- 2- साय 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक किराने की थोक-बिक्री और का आवागमन (आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) पूर्णतः निषिद्ध होगा।
- 3- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति/एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 वर्ष की आयु से नीचे बच्चे का (स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को छोड़कर) नगर निकलना पूर्णतः प्रतिशब्धित रहेगा।
- 4- नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों सहित नगरीय क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन से बाहर आधिकारिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति Incident Commander द्वारा नियन्त्रित रहनी के अधीन निर्गत की जायेगी, जिसमें अधिकारों को मान-कन्टेनमेंट क्षेत्र से ही पोल्टी के अन्दर कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंस सम्बन्धी रैसोर्सींगों के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा, जिसका समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। शर्तों का पालन न करने पर कौनिक एवं सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। कैबेट्रीयों अपने-अपने क्षेत्रपाल के अन्तर्गत ही शर्मियों को कार्य पर बुलायेगी।
- 5- नगर निगम मेरठ के कन्टेनमेंट जोन के बाहर आधिकारिक गतिविधियों (पब्लिक निरीक्षक इकाईयों सहित) मुख्य विकास अधिकारी मेरठ की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा नियन्त्रित रहनी के अधीन चरणबद्ध तरीके से निर्गत की जायेगी, जिसमें अधिकारों को मान-कन्टेनमेंट क्षेत्र से ही पोल्टी के अन्दर कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंस सम्बन्धी रैसोर्सींगों के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा, जिसका समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। शर्तों का पालन न करने पर कौनिक एवं सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। कैबेट्रीयों अपने-अपने क्षेत्रपाल के अन्तर्गत ही शर्मियों को कार्य पर बुलायेगी।
- 6- बारातघर छोले जायेगे, लेकिन शर्तों से पूर्व सम्बन्धित कार्यपालन सत्रिस्ट्रीट की अनुमति आवश्यक होगी तथा इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
- 7- अस्थाई सड़की मण्डों की व्यवस्था पूर्व की भाँति जायति विहार रोड-3 में सम्पादित होगी।
- 8- कन्टेनमेंट जोन के बाहर ट्रेडिंग ट्रेल एवं ड्राईक्लैमर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
- 9- सार्वजनिक स्थानों पर मोड़ों में व्यक्तिगत जेब सारल/कपड़े को कवर नहीं निकालेंगे।
- 10- समस्त सामाजिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/अन्य आयुक्ति गतिविधियों पूर्णतः निषिद्ध

समस्त कार्मिक स्थल/पुला स्थल/कार्मिक सुलभ कार्य सुगम निमित्त होंगे।

12- जनसमन्वय योजना के बाहर कृषि उपकरण एवं कृषि आवश्यकताओं से सम्बन्धित वस्तुओं के क्रय/विक्रय करने की अनुमति होगी एवं अन्य सुलभ निमित्त पूरक (लाभनी) अनुभाग-3 के पत्र संख्या 323/2020-सीएस-3 दिनांक 28-4-2020 के क्रम में कन्टेनमेंट खोल के बाहर ईट-भट्टा राखालन में परिवहन/ईट विक्री परिषद की अनुमति दी गयी है। अब इस क्रम में ईट भट्टा राखालकों को उनके कार्य-स्थल तक जाने की अनुमति होगी।

13- लक्ष्मील मुख्यालय सार नर, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में निर्णय होने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र जिलाधिकारी अधिकृत होंगे एवं इन्हें Incident Commander नामित किया जायेगा।

14- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 924/2020/सीएस-3 दिनांक 18-5-2020 द्वारा दिए गए निर्देशों का आदेश अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कन्टेनमेंट खोल की सूची सलग्न है।

15- यदि किसी के द्वारा भी आक-काठन के तत्परों में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो सम्बन्धित को विरुद्ध उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 एवं आईपीओसी की धारा-198 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रवर्तनी होगा।

सलग्न-उपरोक्तानुसार।

(अमित शर्मा)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

(अमित शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

पत्रोंक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-

- 1- प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ/नोडल अधिकारी, जगदल मेरठ।
- 2- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ।
- 4- पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 6- नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
- 7- सहायक अपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद मेरठ।
- 8- पुलिस अधीक्षक-नगर/ग्रामीण क्षेत्र, मेरठ।
- 9- नगर मजिस्ट्रेट/सहायक अपर नगर मजिस्ट्रेट/सहायक उप जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
- 10- मुख्य विक्रिस्ता अधिकारी, मेरठ।
- 11- उपायुक्त, उद्योग, मेरठ।
- 12- उप निदेशक, कृषि/जिला कृषि अधिकारी, मेरठ।
- 13- सहायक कार्यालयध्यक्ष, जनपद मेरठ को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 14- प्रभावी कन्ट्रोल रूम, कन्ट्रोल रूम, एनआईसी, मेरठ।
- 15- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।

(अमित शर्मा)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

(अमित शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

कन्टेनमेन्ट क्षेत्र की सूची (जनपद मेरठ)

| क्र.सं. | कन्टेनमेन्ट क्षेत्र  |
|---------|--|
| 1       | समस्त नगर निगम एवं कन्टेनमेन्ट बोर्ड (नगर विगन नॉर्ड संख्या 06,10,28,31 एवं छोडकर) |
| 2       | करिया सिवाल खास, तहसील सदर मेरठ(धाना जानी)   |
| 3       | ग्राम नारंगपुर, ब्लॉक रोहता(धाना रोहता)  |
| 4       | ग्राम पूठा, (धाना टी0पी0नगर)   |
| 5       | ग्राम रोहता, पुराना डाकखाना बडों मस्जिद के पास, कडीत रोड मेरठ(धाना रोहता)          |
| 6       | मोहल्ला करसावान, सरधाना, मेरठ(धाना सरधाना)   |
| 7       | ग्राम जलालपुर, हरिनापुर, मेरठ(धाना हरिनापुर)                                       |
| 8       | नगर पंचायत बहसूमा, जनपद मेरठ (धाना बहसूमा)   |
| 9       | ग्राम पनवाडी, विकास खण्ड दौराता, मेरठ(धाना दौराता)                                 |
| 10      | ग्राम अत्तसडा, खरखीदा(खरखीदा)  |